

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 127 / 2019

निर्णय दिनांक —11.06.2019

श्रीलाल पिता शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
— प्रार्थीया

// बनाम //

1. भेरू पिता मोहनलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. रमेश पिता मोहनलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. रमेश पिता मथुरालाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. कमलाबाई पत्नि डालचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा साण्ड पटवार हल्का कारुण्डा तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 244 की आराजी नं0 1012/288 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा साण्ड पटवार हल्का कारुण्डा तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 244 की आराजी नं0 1012/288 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

